न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला –अजमेर(राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र 33/2020 (2020/00244)

पवन कुमार पारीक पुत्र श्री शिवदयाल पारीक जाति ब्राहमण निवासी ग्राम खवास तहसील केकड़ी जिला अजमेर

————प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः– श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह–प्रार्थी
तहसीलदार केकड़ी (पैरोकार सरकार)– अप्रार्थी

आदेश

दिनांक 12.07..2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम खवास की निम्नवर्णित आराजीयात जमाबंदी संवत् 2072–75 मे स्थित हैः–

खेवट खतौनी संख्या नया–पुराना	**ख.नं.**	**रकबा (हैक्टर म)**	**किस्म**
387–850	**2347**	**0.0800**	**नहरी 1**
	2348	**0.2500**	**नहरी 1**
	कुल किता 02	**0.33**	

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी के कब्जे काश्त स्वागित्व आधिपत्य व खातेदारी की आराजीयात है जिस पर प्रार्थी फसल काश्त कर पैदावार प्राप्त करता चला आ रहा है। जिसमे दीगर व्यक्ति का कोई हक व हिस्वा व वास्ता सरोकार नहीं है, और ना हो सकता है। प्रार्थी द्वारा कई गर्तबा निवेदन करने पर जब प्रार्थी की आराजीयात का सीमाज्ञान नहीं करवाया तब प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र वास्ते सीमाज्ञान हेतु तहसीलदार केकड़ी के समक्ष प्रस्तुत किया,जिस पर आज दिनांक तक कोई संतोषप्रद कार्यवाही नही हुई । इसलिए यह प्रार्थना पत्र वास्ते स्थाई पत्थरगढ़ी हेतु श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करना लाजिमी आया है। प्रार्थी की आराजीयात का बार बार निवेदन करने के पश्चात भी सीमा ज्ञान नहीं हो सका। इसलिए प्रार्थी की आराजी की स्थाई पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का मूल कारण प्रथम बार दिनांक 26.05.2020 को उत्पन्न हुआ जब तहसीलदार केकड़ी को सीमाज्ञान करने हेतु निवेदन किया लेकिन अप्रार्थी ने न्यायालय से आदेश लाने की बात कह कर वाद वर्णित आराजीयात का सीमाज्ञान नहीं किया तब उत्पन्न हुआ और अब दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है। प्रार्थना पत्र न्यायालय के अधिकार क्षैत्र मे होने से [illegible] को सुनने का अधिकार है। प्रार्थना पत्र उचित न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत कि[illegible] है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी की [illegible] आदेश प्रदान करावे। प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का होने से [illegible] रजिस्टर [illegible] जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार केकड़ी–पैरोकार सरकार का जवाब पेश किया। अतिरिक्त [illegible] मे पैरोकार सरकार ने बताया कि प्रार्थी अपनी खातेदारी की भू[illegible] की पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है श्रीमान् न्यायालय द्वारा आदेश दिये जाने की स्थिति मे पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर दी जावेगी। राजहित प्रभावित नहीं है। जवाब प्राप्त होने पर पक्षकारान की बहस अंतिम सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.29 12:58:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी
प्रकरण संख्या 33/20 (2020/00244)
पवन कुमार बनाम राजस्थान सरकार
अंतर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट
आदेश दिनांक 12.07.2021

प्रार्थी के लायक अभिभाषक ने अपनी बहस जारी रखते हुए प्रार्थना पत्र मे अंकित कथनो को दोहराया तथा आराजी प्रश्नगत की पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार केकड़ी को आदेश जारी करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार– तहसीलदार केकड़ी ने आदेशिका पर राजहित प्रभावित नहीं होना अंकित करते हुए कथन किया है कि प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि की पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है तो श्रीमान् के द्वारा आदेश प्रसारित किये जाने पर पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर दी जावेगी। राजहित प्रभावित नहीं है। मैने पत्रावली का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस पर गौर किया। तहसीलदार केकड़ी पैरोकार सरकार ने कथन किया कि ग्राम खवास की जमाबंदी संवत् 2072–75 के खाता संख्या नया–पुराना 387–850 खसरा नंबर 2347,2348

रकबा 0.0800,0.2500 नहरी 1 प्रार्थी ने पत्थरगढ़ी हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है ,जो उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 राज0 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी पत्थरगढ़ी शुल्क नियमानुसार राज्य सरकार मे जमा करावे। तहसीलदार केकड़ी को आदेश दिए जाते है कि प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क जमा करवाने पर प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात की पत्थरगढ़ी,प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी के पड़ौसी खातेदारों की मौजूदगी मे, दक्ष कार्मिकों की टीम गठित कर करवायी जावे,खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)
(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.29 12:58:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner